

**GOVERNMENT OF RAASTHAN**  
**FINACE DEPARTMENT**  
**(Tax Division)**

**NOTIFICATION**

Jaipur, dated: 12.01.2012

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the share certificates of Rs. 93,99,98,000.00 (Ninety Three Crore Ninety Nine Lac & Ninety Eight Thousand Only) to be allotted/issued by the Jaipur Metro Rail Corporation Ltd. in the name of H.E. Governor of Rajasthan in pursuance of the decision taken in its 7<sup>th</sup> Board Meeting, shall be exempted

[No. F.2 (45)FD/Tax/09-83]

By order of the Governor,  
Sd

(Dr. Ravi Kumar S)

Deputy Secretary to Government

**राजस्थान-सरकार**

**कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.**

**"कर-भवन", अजमेर**

क्रमांक: एफ-7(40)जन/11/ 1708-2158

दिनांक: 01-02-2012

उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक प.2(45)एफ.डी./टैक्स/09-83 दिनांक 12.01.2012 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट [www.rajstamps.gov.in](http://www.rajstamps.gov.in) पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वर्षाणिक एवं प्राप्त लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के गाननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
9. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
11. समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
12. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), प्त-जयपुर/जोधपुर।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. ए.सी.पी. मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

**अतिरिक्त महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर**